न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 30 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबराराम पुत्र गेनाजी जाति कलबी निवासी दईपुर तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. वगताराम पुत्र गेनाजी जाति कलबी निवासी दईपुर तहसील रानीवाडा 2. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 23.08.2022

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि मौजा दईपुर तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 430 रकबा 5.40 हैक्टर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी वर्तमान जमाबंदी में बाबराराम पुत्र गेना हिस्सा 41 / 135, वगताराम पुत्र गेनाजी हिस्सा 94 / 135 जाति कलबी साकिन देह खातेदार नाम दर्ज है। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काश्त की सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर वादी उक्त आराजी में उत्तर पुर्व की तरफ की ओर वादी व वादी के पुत्र माधुराम की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 403, 404 के लगती आराजी पर काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 दक्षिण पश्चिम की ओर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 41 / 135 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 94 / 135 खातेदारी का है।

   उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से कई बार विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने में आना–कानी की। दिनांक 25.4.2022 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से माफिक आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:54 IST
Reason: SelfAttested

मना कर दिया। इसलिये वादी वादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से माफिक व बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवा कर मौजा दईपुर तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 430 रकबा 5.40 हैक्टर में से अपना 41/135 हिस्सा उक्त आराजी नवीन खसरा नबंर 430 के उत्तर–पुर्व तरफ की ओर वादी व वादी के पुत्र माधुराम की खातेदारी खसरा नबंर 403,404 के लगती आराजी अलग बंटवाडा में प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस हेतु यह दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी आराजी का पेश है।

2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का कई बार कहा परन्तु वह आना–कानी करते रहा। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 25.4.2022 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाडा आपसी सहमति से करवाने से मना कर दिया। तत्पश्चात वादकारण निरन्तर जारी है।
3. वादी इस्तदुआ है कि मौजा दईपुर तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 430 रकबा 5.40 हैक्टर आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच हिस्से माफिक व कब्जे काश्त माफिक एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी को 41/135 हिस्सा उत्तर–पुर्व दिशा की ओर वादी व वादी के पुत्र माधुराम की खातेदारी खसरा नबंर 403, 404 के लगती व प्रतिवादी संख्या 1 को 94/135 हिस्सा दक्षिण–पश्चिम दिशा की ओर अलग–अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा को आदेश फरमावे।
4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 02 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।
5. दिनांक 14.07.2022 को न्यायालय द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से व कब्जा–काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते की सुविधानुसार मौजा दईपूर तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 430 रकबा 5.40 हेक्टेयर आराजी के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/696 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/कोर्ट/2022/712 दिनांक 18.08.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।
6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:54 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	लगान राशि
1.	बाबराराम पुत्र गेना जाति कलबी सा0 देह खातेदार	430	5.40	0.63	चा.सो.	12.60
				1.00	जा.सो.	6.00
2.	वगताराम पुत्र गेना जाति कलबी सा0 देह खातेदार	430	5.40	0.66	चा.सो.	13.70
				3.09	जा.सो.	18.54
3.	बाबराराम पुत्र गेना हिस्सा 1/2, वगताराम पुत्र गेना हिस्सा 1/2 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	430	5.40	0.02	जा.सो.	0.12

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
बाबराराम पुत्र गेनाजी जाति कलबी निवासी दईपुर तहसील रानीवाडा जिला–जालोर	बनाम	1. वगताराम पुत्र गेनाजी जाति कलबी निवासी दईपुर तहसील रानीवाडा 2. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 30/2022

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	लगान राशि
1.	बाबराराम पुत्र गेना जाति कलबी सा0 देह खातेदार	430	5.40	0.63	चा.सो.	12.60
				1.00	जा.सो.	6.00
2.	वगताराम पुत्र गेना जाति कलबी सा0 देह खातेदार	430	5.40	0.66	चा.सो.	13.70
				3.09	जा.सो.	18.54
3.	बाबराराम पुत्र गेना हिस्सा 1/2, वगताराम पुत्र गेना हिस्सा 1/2 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	430	5.40	0.02	जा.सो.	0.12

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23.08.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:54 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:54 IST
Reason: SelfAttested